कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,मथुरा ।

पत्रांकः 3823 /14-1 मथुराःदिनांकः26/5/2018.

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड,
आगरा मण्डल, आगरा ।

विषयः– जनपद मथुरा में गोवर्धन–बरसाना मार्ग की दॉयी पटरी पर कि0मी0–19 में (चैनेज सं0–18.673) पर तहसील के खसरा सं0–219 ग्राम–बरसाना, तहसील–गोवर्धन, जिला–मथुरा में इण्डियन ऑयल का0लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.059033 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति ।

सन्दर्भः– विशेष सचिव,उ0प्र0शासन, वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2,लखनऊ की पत्र संख्या पी–67/14–2 –2018–800(80)/2018, दिनांक 23.05.2018 (प्रतिलिपि संलग्न है ।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद मथुरा में गोवर्धन–बरसाना मार्ग की दॉयी पटरी पर कि0मी0–19 में (चैनेज सं0–18.673) पर तहसील के खसरा सं0–219 ग्राम–बरसाना, तहसील–गोवर्धन, जिला–मथुरा में इण्डियन ऑयल का0लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.059033 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चार–चार प्रतियों में अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

1 यह कि बिन्दु संख्या--1 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि वन भूमि के एक्सीलेशन/डी–एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाइड लाइन दिनांक 24.7.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले–आउट प्लान हेतु आधार का पालन किया जायेगा ।

2 यह कि बिन्दु सं0–2 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाए उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित सहित किया जायेगा।

3. यह कि बिन्दु सं0–3 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1X1.5 मी0) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथ यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त किया जायेगा ।

4. यह कि बिन्दु सं0–4 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त, स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो) के अतिरिक्त किया जायेगा ।

5. यह कि बिन्दु सं0–5 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 0.059033 हे0 से अधिक में प्रयोग नही किया जायेगा ।

7. यह कि बिन्दु सं0–7 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सि0) संख्या–202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0,दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैंक की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाय, तत्पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

Scanned by CamScanner

8. यह कि बिन्दु सं0–8 के कम में प्रस्तावित परियोजना की एन0पी0वी0 की धनराशि मु0–36,955.00 रू0 की धनराशि तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तद्र्थ निकाय के कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) नई दिल्ली में ऑन लाइन ई–पोर्टल के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

9. यह कि बिन्दु सं0–9 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

11. यह कि बिन्दु सं0–11 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के पलोरा (वनस्पति)/फाना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होगें, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाएगा ।

12. यह कि बिन्दु सं0–12 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा । किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा । यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

13. यह कि बिन्दु सं0–13 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचायेगें और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुॅचता है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा ।

14. यह कि बिन्दु सं0–14 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहें । यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहें, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति पर वापस हेतु बचनबद्धता दी जाएगी ।

15. यह कि बिन्दु सं0–15 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007/एफ0सी0(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–जे–11013/41/2006–IA-II(I) दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से लागू होने की स्थिति में अलग से प्राप्त की जाएगी ।

16 यह कि बिन्दु सं0–16 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक होगा, का अनुपालन किया जाएगा ।

18 यह कि बिन्दु सं0–18 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

19 यह कि बिन्दु सं0–19 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/ प्रोटेक्टड एरिया के बाहर अवस्थित हैं । यदि प्रश्नगत भूमि सैन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करली जाएगी ।

22. यह कि बिन्दु सं0–22 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ।

23. यह कि बिन्दु सं0–23 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 उच्चतम न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा करना आवश्यक होगा ।

24. यह कि बिन्दु सं0–24 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जाएगा ।

Scanned by CamScanner

25. यह कि बिन्दु सं0–25 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में उपलब्ध कराया जाएगा ।

26 यह कि बिन्दु सं0–26 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्या–एफ0एन0 संख्या–11–268/2014–एफसी, दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा निर्देश के अनुसार परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाएगा ।

27 यह कि बिन्दु सं0–27 के क्रम में मु0–201400.00 रू0 की क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 10 वर्षो के रखरखाव सहित प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) नई दिल्ली में ऑन लाइन ई–पोर्टल के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया जायेगा ।

28 यह कि बिन्दु सं0–28 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होगें, का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा ।

भवदीय,

अरविन्द कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा

Scanned by CamScanner